रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 894] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2013/वैशाख 2,1935
No. 894] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2013/VAISAKHA 2, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2013

का.आ. 1017(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035 (अ), तारीख 07.05.2010 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के 128.300 किमी से 215.300 किमी तक का (गोधरा-गुजरात/मध्यप्रदेश सीमा सेक्शन) खण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यत:, प्राधिकरण *A*, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स बीएससीपीएल गोधरा टॉलवेज लिमिटेड जो 30.11.2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों के सफल बोलीदाता हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय 6-2-913/914, पाँचवा तल, प्रोग्रेसिव टॉवर्स खैरताबाद, हैदराबाद – 500004 है (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47) पर 129.300 किमी से 215.900 किमी तक [गोधरा-गुजरात/मध्यप्रदेश सीमा सेक्शन] खण्ड (जिसे इसमें इसके प्रश्चात्"उक्त खण्ड" कहा गया है) का चार लेन में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूँजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 78.660 किमी हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए, सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है), और पचास करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाले पुल/संरचना/बाइपास के लिए नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसाकि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क का संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की प्रति कि.मी आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी-2

स्थायी पुल, बाइपास अथवा सुरंग की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	एचसीएम, इएमई या एमएवी	बड़े आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	4.50	6

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
किमी/चैनेज146.500 (लिमखेड़ा जिले में भाटवाड़ा गांव के पास)	78.660 (लिमखेड़ा बाइपास के 5.19 किमी और 144 किमी(लगभग लम्बाई 3.435) पर आरओबी संरचना के लिए पुनर्संरेखन को छोड़कर)

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, सारणी संख्या 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर निम्नलिखित पुल(पुलों) /बाइपास (बाइपासों)/संरचना(संरचनाओं) जिनकी लागत नीचे दी गयी है, के उपयोग के लिए, निम्नलिखित शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किमी में) बाइपास संरचना की लागत (करोड़ रूपये में) जिसके द्वारा अतिरिक्त शुल्क संदेय है		
	संरचना का स्वरूप	लम्बाई (किमी में)	लागत(करोड़ रूपये में)
किमी/चैनेज 146.500 (लिमखेड़ा जिले में भाटवाड़ा गांव के पास)	लिमखेड़ा बाइपास	5.190	60.60 रूपये

किमी/चैनेज 146.500 (लिमखेड़ा जिले में भाटवाड़ा गांव के पास)	आर ओ बी संरचना सहित 144 किमी पर आरओबी के लिए पुनर्संरेखन	3.435	55.00 रुपये

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रुपए (दो सौ रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जायेगा, अर्थात्:-

संदेय धन राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की रकम का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. सारणी 1 और 2 में यथाउल्लिखित शुल्क के आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क की राशि और छूट की गणना परियोजना राजमार्ग की लम्बाई के पूरे कर लिए भाग के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और प्रकाशित की जाएगी तथा इसके बाद उक्त नियमों

नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क के पिछले संशोधन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा । तदनुसार, शुल्क की वास्तविक राशि और छूट अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/665/सीएमडी-सीओ/11-12/बीसी-अहमदाबाद]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2013

S.O. 1017(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035 (E), dated 07/05/2010 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 129.300 to kilometer 215.900 (Godhra – Gujarat/Madhya Pradesh Border Section) of National Highway No. 59 in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s BSCPL Godhra Tollways Limited having its registered office 6-2-913/914, 5th Floor, Progressive Towers, Khairatabad, Hyderabad – 500004 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 30/11/2009 for the development of [Godhra – Gujarat/Madhya Pradesh Border Section] section from Km 129.300 to Km 215.900 on National Highway No. 59 (New National Highway No. 47) (hereinafter referred to as the "said section") to four lane operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred a as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest an the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 78.660 km. for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Tabla No.2 for bridges/structure/ bypass costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation (COD) declared by the Authority and on getting the work completion certificate from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

TABLE-2

Cost of permanent bridge, Bypass or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6

I. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 146.500 (near Bhatwada village in Limkheda district)	78.660 (excluding 5.19 km of Limkheda Bypass and realignment for ROB structure at km 144 (approx. length 3.435)

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/bypass(es)/structure(s) at the base rates specified in Table no. 2, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) and Cost of bypass/structure (in Rupees crore) for which additional fee is payable		
	Nature of Structure	Length (in Kms)	Cost (in Crore)
Km/Ch. 146.500 (near Bhatwada village in Limkheda district)	Limkheda Bypass	5.190	Rs.60.60
Km/Ch. 146.500 (near Bhatwada village in Limkheda district)	Realignment for ROB at km 144 including ROB structure	3.435	Rs.55.00

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs.200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

8. Based on the base rate of fee as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the Project Highway, will be published and thereafter revised annually in accordance with rule 5 of the Paid Rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee. The actual amount of fee and the discounts shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/665/CMD-CO/11-12/GC-Ahmedabad]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054